

मो० सोहैल, भा०प्र०से०, जिलाधिकारी -सह- अध्यक्ष, सिंहेश्वर मेला समिति की अध्यक्षता में दिनांक- 16/01/2017 को समाहरणालय, सभा कक्ष में सिंहेश्वर मेला /सिंहेश्वर महोत्सव, 2017 के आयोजन हेतु बैठक की कार्यवाही।

(01) उपस्थिति- पंजी के अनुसार।

(02) कार्यवाही-

सर्वप्रथम जिलाधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों /सदस्यों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी। जिलाधिकारी द्वारा सूचित किया गया कि आज की यह बैठक महाशिवरात्रि के अवसर पर सिंहेश्वर मेला के सफलतापूर्वक संचालन हेतु आहूत की गई है। जिलाधिकारी द्वारा न्यास परिषद, सिंहेश्वर मेला के सदस्यों से अनुरोध किया गया कि मेला कैसे एवं किन तिथियों को उद्घाटन किया जाए।

(03) सिंहेश्वर महोत्सव-

पर्यटन विभाग, बिहार, पटना के वर्ष- 2016- 17 में मेला महोत्सव के कैलेंडर में सिंहेश्वर महोत्सव के आयोजन की तिथि- 25 से 27 फरवरी 2017 महाशिवरात्रि के अवसर पर निर्धारित होने के सम्बंध में बैठक में उपस्थित सदस्यों को जानकारी दी गई। सर्वसम्मति से दिनांक- 25 फरवरी, 2017 से दिनांक- 27 फरवरी, 2017 तक कुल- 03 (तीन) दिनों तक सिंहेश्वर महोत्सव मनाने का निर्णय लिया गया। इस सम्बंध में सर्वसम्मति से दिनांक- 25 फरवरी, 2017 को सिंहेश्वर महोत्सव का उद्घाटन इस जिले के प्रभारी मंत्री श्री बिजेन्द्र नारायण यादव से कराने का निर्णय लिया गया। प्रभारी पदाधिकारी, सामान्य शाखा, मधेपुरा को माननीय प्रभारी मंत्री महोदय से उद्घाटन हेतु निर्धारित तिथि के सम्बंध में आमंत्रित करने तथा उद्घाटन हेतु सहमति प्राप्त करने का निदेश दिया गया। पूर्व की भाँति महोत्सव स्थल के रूप में मवेशी हाट प्रांगण का चयन किया गया। उक्त स्थल पर जिला नजारत उप समाहर्ता, मधेपुरा को गत वर्ष- 2016 की भाँति वाटरप्रूफ भव्य पंडाल /मंच /ग्रीन रूम /जेनरेटर सहित प्रकाश की व्यवस्था /वीडियोग्राफी /कुसी /सोफा /सजावट आदि सहित की व्यवस्था करने का निदेश दिया गया। गत वर्ष की भाँति उप विकास आयुक्त, मधेपुरा के मार्गदर्शन में आकर्षक आमंत्रण कार्ड की व्यवस्था करने हेतु जिला नजारत उप समाहर्ता, मधेपुरा को निदेश दिया गया।

सिंहेश्वर महोत्सव, 2017 के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति हेतु स्थानीय कलाकारों के अतिरिक्त ख्याती प्राप्त राष्ट्रीय कलाकारों को आमंत्रित करने का अनुरोध बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा किया गया। जिलाधिकारी द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की

स्परेखा तय करने के लिए एक समिति का गठन किया गया जो निम्नप्रकार है-

01	उप विकास आयुक्त,मधेपुरा।	अध्यक्ष।
02	जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी,मधेपुरा।	सदस्य।
03	अनुमंडल पदाधिकारी,मधेपुरा।	सदस्य।
04	जिला पंचायत राज पदाधिकारी,मधेपुरा।	सदस्य।
05	जिला नजारत उप समाहर्ता,मधेपुरा।	सदस्य।
06	डॉ भूपेन्द्र नारायण यादव 'मधेपुरी'	सदस्य।
07	श्री रविरंजन,संगीत शिक्षक,JNV मनहरा सुखासन।	सदस्य।

उक्त समिति सिंहेश्वर महोत्सव, 2017 के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए कलाकारों का चयन /आमंत्रण /मानदेय /उनके आवासन एवं परिवहन आदि तथा महोत्सव के सफल आयोजनार्थ प्रचार प्रसार की रूप रेखा आदि के सम्बंध में निर्णय लेते हुए जिलाधिकारी महोदय से अनुमोदन प्राप्त करेंगे।

सिंहेश्वर महोत्सव, 2017 के आयोजनार्थ सभी प्रकार के व्ययों के व्यय हेतु गत वर्ष की भौति पच्चीस लाख रुपये की अधियाचना पर्यटन विभाग, बिहार, पटना से करने हेतु प्रभारी पदाधिकारी, सामान्य शाखा, मधेपुरा को निदेश दिया गया।

(04) सिंहेश्वर मेला-

बैठक में माननीय सदस्यों द्वारा अनुरोध किया गया कि इस वर्ष महाशिवरात्रि सिंहेश्वर मेला उत्कृष्ट कोटि का लगाया जाय एवं मेला में सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत सर्कस, सिनेमा, मैजिक, मौत का कुंआँ, थियेटर आदि को भी आमंत्रित किया जाय तथा जो भी तैयारी मेला के लिए होने हैं उसे विभिन्न समिति में वितरित कर दिया जाय। साथ ही विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी लगाने का प्रयास किया जाय। प्रबंधक, सिंहेश्वर मंदिर न्यास समिति को निदेश दिया गया कि अभी से बड़े सर्कस आदि से वार्ता कर लाने का प्रयास किया जाय। मेला समिति के सदस्यों ने सुझाव दिया कि मेला में विशेषरूप से बिजली, पानी एवं सफाई की अचूक व्यवस्था की जाय। यह निर्णय लिया गया कि मेला प्रांगन, मंदिर परिसर इत्यादि की सुबह शाम सफाई करायी जाय। उन्होने मेले के प्रचार- प्रसार के लिए जिलाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त -सह- सचिव, सिंहेश्वर मंदिर न्यास समिति की ओर से पर्चा छपवाकर वितरण कराने एवं विभिन्न समाचार पत्रों में फोटो के साथ विज्ञापन प्रकाशित कराने का अनुरोध किया गया है। सिंहेश्वर मंदिर न्यास समिति, सिंहेश्वर के माध्यम से मेला के आयोजन का विज्ञापन प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाय, ताकि मेला का व्यापक प्रचार- प्रसार सुनिश्चित हो

सके। मंदिर परिसर को स्वच्छ एवं साफ रखने हेतु परिसर के अंदर लोगों द्वारा अंदर भोजन करने पर पाबंदी लगाई जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि लोगों द्वारा खान- पान का कार्य धर्मशाला अथवा मंदिर परिसर के बाहर एवं मेला परिसर में किया जाय। जिलाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि प्रभारी पदाधिकारी जिला राजस्व शाखा, मधेपुरा मेला की वृहत प्रचार-प्रसार हेतु विज्ञापन निकालने की कार्रवाई करेंगे।

(अनुपालन- उप विकास आयुक्त -सह- सचिव, सिंहेश्वर मंदिर न्यास समिति /व्यवस्थापक, सिंहेश्वर मंदिर न्यास समिति /प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा ,मधेपुरा)

(05) सी0सी0टी0भी0 कैमरा-

जिलाधिकारी द्वारा मेला परिसर में सी0सी0टी0भी0कैमरालगवाने का निदेश उप विकास आयुक्त -सह- सचिव, सिंहेश्वर मंदिर न्यास समिति एवं सम्बंधित व्यवस्थापक को दिया गया। जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा मेला में विधि- व्यवस्था बनाये रखने तथा नियंत्रण रखने हेतु मेला, मंदिर परिसर एवं मंदिर के गर्भ गृह में क्लोज सर्किट कैमरा लगाने का निर्णय लिया गया। साथ ही मंदिर का बिजली बायरिंग यदि कोई खराबी हो तो इसे ठीक करने का निदेश कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, मधेपुरा को दिया गया इस कार्य में सहयोग करने हेतु कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मधेपुरा को भी दिया गया।

सदस्यों द्वारा बताया गया कि मंदिर के परिसर एवं गर्भ गृह आदि जगहों पर रात्रि में अंधेरा पसरा रहता है, जबकि बिजली आदि की समुचित व्स्था है तथा मंदिर के गर्भ गृह में दिन के समय रोशनी की व्यवस्था नहीं रहती है। प्रबंधक, सिंहेश्वर मंदिर न्यास समिति द्वारा बताया गया कि बिजली आपूर्ति बाधित होने पर जेनरेटर के अतिरिक्त इनर्टर की भी व्यवस्था सुनिश्चित है। जिलाधिकारी द्वारा प्रबंधक को दिन के समय मुख्य- मुख्य मंदिर में रोशनी की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन- उप विकास आयुक्त -सह- सचिव, सिंहेश्वर मंदिर न्यास समिति /प्रबंधक, सिंहेश्वर मंदिर न्यास समिति /कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, मधेपुरा एवं कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मधेपुरा)

(06) विद्युत आपूर्ति-

उपस्थित सदस्यों द्वारा सिंहेश्वर मेला परिसर में चौबीस घंटा विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था करने एवं अतिरिक्त प्वाइंट लगाने हेतु अनुरोध किया गया। कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, मधेपुरा को मेला अवधि में विशेष ट्रांसफर्मेर एवं विद्युत की निर्वाध आपूर्ति किये जाने हेतु कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। उन्हें मेला अवधि में आवश्यकतानुसार ट्रांसफर्मेर सुरक्षित रखने हेतु निदेश दिया गया।

